न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 61 / 2026
बेलछी थाना कांड संख्या 196 / 2025
अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 352 बीएनएस

07.03.2026 आवेदक अभियुक्त–1. संतोष कुमार उर्फ श्री सिंह पिता–स्व0 रामेश्वर सिंह की ओर से एक आवेदन दाखिल कर उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त– संतोष कुमार उर्फ श्री सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तत्पश्चात् इन्हें जमानत का लाभ विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दिया जा चुका है। यह जमानत दिनांक– 03.01.2016 को ही दिया जा चुका है। अतः, ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाए। अभियोजन आवेदन की वापसी हेतु सहमत हैं।

उभय पक्षों को सुना। अग्रिम जमानत आवेदन एवं प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया। विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ के द्वारा जमानत का लाभ अभियुक्त को दिया जा चुका है। अतः, ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः, आवेदक अभियुक्त– संतोष कुमार उर्फ श्री सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़